

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking Miniratna Company)

“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Distt:- Sri Ganganagar



TENDER DOCUMENT-

E-Tenders are invited for Processing , Packing and other related works at
Processing Plant Nos.-19 and 206 Block-1 and 18 and 228 Block-2.

For **Annual Job Contract Work** basis

For **Rabi 2023-24, Summer 2024 and Kharif 2024 Season**

Phone: 01509-223873

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Distt:- Sri Ganganagar

TABLE OF CONTENTS

Sl. No.	Items	Detail	Page no.
1	Section I	Tender notice	3
2	Section II	Instruction to Bidder- On line Mode	4-5
3	Section III	Terms & Condition of Tender	6-9
4	Section IV	Scope of work	10-13
5	Section V	Technical Bid	14
6	Section VI	Financial bid	15-16
7	Section VII	Affidavit BLACKLISTING / NON- DEBARMENT	17

	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारका उपक्रमलघुत्वा कंपनी) “An ISO 9001:2008 – 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल: spo.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	
---	--	--	---

पत्राक / सी0एस0एफ0 / एस.ओ.जी. / 2-एसपीयू-8 / 2024

दिनांक:-07.06.2024

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) पर रबी 2023-24, जायद 2024 एवं खरीफ 2024 में विधायन संयंत्र संख्या 19, 206 खण्ड-एक पर अनुमानित 60000 क्विंटल रॉ बीजो एवं विधायन संयंत्र संख्या 18, 228 खण्ड 2 पर अनुमानित 60000 क्विंटल रॉबीजो के विधायन, पैकिंग एवं पल्लेदारी कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतु दो बिड सिस्टम आधार पर ई-निविदा दिनांक 08.06.2024, 9:30 AM से 21.06.2024 को शाम 05.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 22.06.2024 सुबह 10 बजे खोली जायेगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं नियम-शर्तें हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर निविदाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा के नियम व शर्तों एवं निविदा की कार्य प्रक्रिया को समझने हेतु निविदाताओं के लिये 12.06.2024 (10:00 AM) को **Pre-Bid meeting** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित की गई है। इच्छुक निविदाता तय तिथि को अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सकते हैं।

प्रबन्धक (उ)
कृते फार्म प्रमुख

Particulars	Details
Date of issue of NIT	08.06.2024
Tender document download start date/time	08.06.2024, 9:30 AM
Tender document download end date	21.06.2024, 05:00 PM
Date and time for submission of online bid	08.06.2024, 9:30 AM to 21.06.2024, 5:00 PM
Date and time of opening of tender	22.06.2024, 10:00 AM
Tender fee (Rs.)	1180 .00 (including 18% GST)
EMD (Rs.)	80000.00 (Eighty Thousand rupees only) Per block
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj),-335804
Contact person (With phone no. & e-mail)	Sh. Abhinav Singh Rathore, Manager (P), Mob:- 7470705731 E-mail- spo.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website.

Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

नियम-शर्तें

विधायन सयन्त्र सख्या 19, 206 खण्ड-1 तथा 18, 228, खण्ड-2 पर रबी 2023-24, जायद 2024 तथा खरीफ 2024 में उत्पादित राँ-बीजो का विधायन, पैकिंग तथा पल्लेदारी से सम्बन्धित कार्यों हेतु श्रमिक ठेकेदार को नियुक्त करने व कार्य संचालन हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें ।

1. पात्रता मापदण्ड (Eligibility Criteria) :

- A- राँबीजो का विधायन, पैकिंग व पल्लेदारी आदि कार्य का ठेका लेने के लिये इन कार्यों का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
 - B- Shops & Establishment act के तहत राजस्थान राज्य से वैध लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
 - C- श्रमिक ठेकेदार के पास वैध श्रमिक लाईसेंस होना चाहिए अथवा जरूरत पडने पर श्रमिक लाईसेंस लेना होगा।
 - D- ठेकेदार या उसकी फर्म का 20 लाख रुपये या इससे अधिक का वार्षिक टर्न ओवर होना अनिवार्य है तथा फर्म को दो वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर प्रमाण पत्र देना होगा।
 - E- टेण्डर भरते समय श्रमिक ठेकेदार को ईएमडी, अनुभव प्रमाण-पत्र, ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण-पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाण-पत्र, तथा पेनकार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. खण्ड एक तथा खण्ड दो के विधायन सयन्त्रों की धरोहर राशि खण्डवार रुपये 80000/- ऑनलाइन माध्यम से जमा करवानी होगी।
 3. सफल निविदादाता को वर्क आर्डर प्राप्ति के सात कार्य दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप में 1,50,000/- रुपये (कार्य ऑफर के समय ईएमडी की राशि समायोजित की जा सकती है) जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के खाते में जमा कराने होंगे। कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर फार्म द्वारा इस राशि को बिना ब्याज के भुगतान कर दिया जायेगा।
 4. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध एग्रीमेन्ट) रु. 500/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर जो सफल निविदादाता द्वारा खरीदा जायेगा, पर ठेका होने के 7 कार्य दिवस में जमा कराना होगा।
 5. श्रमिक ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे श्रमिक ठेकेदार के नाम अथवा टेण्डर के कार्य का भाग, फार्म प्रमुख के. रा.फा. सूरतगढ़ की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता।
 6. प्रत्येक कार्य की दर टैक्स सहित देनी होगी।
 7. अगर श्रमिक ठेकेदार अथवा उसके श्रमिकों द्वारा फार्म पर किसी भी तरह की चल अथवा अचल सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
 8. बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2023-24, जायद 2024 तथा खरीफ 2024 में उत्पादित सम्पूर्ण राँ बीजो के लिए है। अतः सम्पूर्ण राँ बीजो के विधायन तथा पैकिंग से सम्बन्धित कार्यों को समय पर करके देना अनिवार्य होगा।
 9. कार्य-स्थल फार्म के खण्ड एक तथा खण्ड दो के विधायन सयंत्र परिसर तथा गोदाम परिसर होंगे। खण्ड एक एवं दो के विधायन संयंत्रों के लिये अलग-2 निविदा भरना होगा व निविदा फार्म पर खण्ड/विधायन संयंत्र का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
 10. फार्म की आवश्यकता को देखते हुए यदि पैकिंग साइज में बदलाव होता है तो उस बदलाव के अनुसार कार्य करना होगा, जिसकी दर दोनों पक्षों के आपसी सांमजस्य से निर्धारित की जायेगी।
 11. यदि टेण्डर की अवधि के दौरान किसी कारणवश जो कार्य फार्म के नियन्त्रण से बाहर है, को देखते हुए अनुबन्ध को निरस्त अथवा बदला जा सकता है।

12. टेण्डर अवधि के दौरान दिये गये समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने अथवा देरी से करने पर यदि उस कार्य के देरी से होने पर नुकसान की आशंका है तो उस कार्य की दर का **2-5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।**
13. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जायेगी। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देरी होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य करवाना होगा और समय पर पूरा करवाना होगा।
14. सभी कार्य को बीज प्रमाणीकरण संस्था के **कॉप कलैण्डर अनुसार दी गयी समयावधि में हर हाल में पूर्ण करना** होगा।
15. कार्य के भुगतान का बिल **GST के प्रारूप में** प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
16. TDS या अन्य कोई कर की कटौती नियमानुसार बिल में से की जायेगी।
17. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म में रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
18. श्रमिक ठेकेदार को ठेका श्रम विनियमन और असादन (अधिनियम, 1970 (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970) के तहत तहत रजिस्टर बनाना होगा जिसमें श्रमिकों की उपस्थिति एवं मजदूरी का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
19. फार्म प्रमुख द्वारा यदि आवश्यक हो तो एक कर्मचारी को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा बनाये गये रजिस्टर में श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान करने की राशि की जाँच करेगा। यदि जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है और फार्म में जमा की गई Security राशि से त्रुटि की भरपाई की जायेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी गेट पर अलग रजिस्टर होना आवश्यक है जिसमें श्रमिकों का आना एवं जाना अंकित हो।
20. आवश्यकतानुसार प्रोसेसिंग का कार्य 3 शिफ्टों में चलाया जा सकता है जिसके लिए मजदूरों का प्रबन्ध फार्म द्वारा नियुक्त श्रमिक ठेकेदार को करना होगा। अगर नियुक्त श्रमिक ठेकेदार द्वारा समुचित मजदूरों का बन्दोबस्त नहीं हुआ या कार्य समय पर नहीं होता या कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है तो यह कार्य निविदा दर की लागत व जोखिम दर पर दूसरे ठेकेदार से कराने के लिये फार्म प्रबंधन स्वतंत्र होगा।
21. बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को प्लान्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
22. प्लान्ट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक व अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग से दुर्व्यवहार करने पर श्रमिक ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त की जायेगी। ठेकेदार के मजदूरों को प्रतिदिन कार्य खत्म होने पर प्लान्ट, गोदाम तथा फार्म कार्यालय परिसर के बाहर रहना होगा जिसका प्रबन्ध श्रमिक ठेकेदार को खुद करना होगा।
23. काम के समय दिन व रात को श्रमिक ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों व थैलियों को सोने व बैठने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर बण्डल बनाकर कार्य होने के साथ-2 रखना होगा।
24. श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिए श्रमिक ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
25. श्रमिक ठेकेदार को अपने पास कार्य पर लगाये गये मजदूरों की रोजाना रजिस्टर में हाजिरी लगाकर शिफ्ट प्रभारी को दिखानी होगी।
26. श्रमिक ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा।
27. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
28. तिरपाल व क्रेट इत्यादि लगाने व ढोने का कार्य श्रमिक ठेकेदार को स्वयं करवाना होगा तथा बरसात, आधी, ओलावृष्टि आदि से बीज, रॉसीड व अण्डर साईज को बचाना होगा।
29. बीज की क्वालिटी संतोषजनक हो उसी के आधार पर फीडिंग करवाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः फीडिंग करवाना होगा।
30. श्रमिक ठेकेदार व उसका प्रतिनिधि तथा मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित रूप में प्लान्ट प्रभारी को देना होगा।
31. श्रमिक ठेकेदार के मजदूरों द्वारा बीज की बोरियों व थैलियों में हुक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि श्रमिक हुक का प्रयोग करते हुए पाये गये तो बोरी/थैले की कीमत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
32. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है तथा बिल प्रस्तुत करते समय भविष्य निधि/ई.एस.आई की चालान

की प्रति साथ लगानी होगी। ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान न किये जाने पर बिलों से पैसा काटकर फार्म द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा।

33. श्रमिक ठेकेदार के मजदूरों की शिकायत की जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की ही होगी।
34. बीज एवं अण्डरसाइज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार सही होनी चाहिए अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तौलकर चैक किया जा सकता है और अगर तौल सही ना मिला तो पूरा का पूरा लॉट दोबारा तुलवाना होगा। अण्डर साइज को एक ग्रेड बनाकर रखवाना होगा साथ ही दाल/चूरी व डण्डल आदि की अलग ग्रेड बनाकर रखनी होगी।
35. श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा तथा धरोहर व सुरक्षा राशि जब्त कर, कार्यवाही भी की जा सकती है।
36. अगर श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा की नियम एवं शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा। फार्म द्वारा जांच के उपरान्त यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुंचा है तो ठेकेदार की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गम्भीरता के अनुसार फार्म जुर्माना लगाकर फार्मों की काली सूचि में डाल सकता है।
37. श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पियेंगे तथा ज्वलनशील पदार्थ अंदर नहीं लायेंगे।
38. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार हेतु पाउच) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देगा। दवा की पुड़िया बनाते समय, बीज का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। यदि दवाई से कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
39. श्रमिक ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट की मशीनों तथा बिजली के स्विच आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
40. प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बंद करवाने होंगे।
41. प्रोसेसिंग व पैकिंग मैटेरियल श्रमिक ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लान्ट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करवाना होगा।
42. विधायन संयंत्र को चालू करने से पूर्व संयंत्र परिसर में अच्छी तरह से सफाई करानी होगी। विधायन संयंत्र परिसर में किसी भी प्रकार गंदगी होने पर तुरंत सफाई करनी होगी। गोदाम में जहां विधायन/पैकिंग हेतु बीज उठाया जा रहा है उसकी सफाई करना अनिवार्य है।
43. विधायन संयंत्र पर फसल या प्रजाति के बदलने के समय विधायन संयंत्र की मशीनो एवं विधायन हॉल की सफाई हेतु श्रमिक ठेकेदार को मजदूर उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्य के लिये कोई भी भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
44. निविदा में दी गई कार्य अवधि के दौरान श्रमिक ठेकेदार को निम्नानुसार सुविधा फार्म द्वारा प्रदान की जाएगी :
ए— बीजगैर-बीज/छोटे आकार/सीपीएम को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या खुले शेड में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक वाहन एनएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
बी— किसी भी प्रकार के बीज/सीपीएम आदि के धूमन और छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रे उपकरण/रसायन/धूमन कवर एनएससी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
सी— एनएससी द्वारा बीज की ग्रेडिंग और पैकिंग में उपयोग की जाने वाली बैग क्लोजर सहित मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
डी— स्टेशनरी आइटम/रबर स्टैंप/विभिन्न आकार के स्क्रीन/प्रिंटिंग स्याही आदि। बीज की ग्रेडिंग/पैकिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री एनएससी द्वारा प्रदान की जाएगी।
45. यदि किसी किस्म में अन्य बीजों का मिश्रण है तो उस बीज लॉट की चुगाई का कार्य भी ठेकेदार के मजदूरों द्वारा किया जायेगा जिसका अलग से भुगतान किया जायेगा।
46. पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोडिंग अनलोडिंग या चट्टा लगाते समय श्रमिक ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है। इसकी वैधानिक देयता की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
47. निविदादाता को निविदा के प्रत्येक कार्य स्लेब के लिए व्यवहारिक दरें देना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा किसी भी कार्य स्लेब के लिए अव्यवहारिक दरें प्रदान की जाती है तो फार्म समिति को प्राप्त अव्यवहारिक दरों को अनुचित मानते हुए अस्वीकार करने तथा उक्त निविदादाता को ब्लैक लिस्ट करने का पूर्ण अधिकार होगा।

48. **L-1 निर्धारण प्रक्रिया** :- वर्तमान निविदा में निविदादाताओं द्वारा कार्य मद वार दी गयी दरों को पूर्व वर्ष (रबी 2022-23, जायद-2023 एवं खरीफ 2023) में हुए कार्य की वास्तविक मात्रा से गुणा कर प्राप्त संभावित कुल राशि के आधार पर L-1 फर्म निर्धारित की जाएगी। जिन कार्य मदों पर पूर्व वर्ष (रबी 2022-23, जायद-2023 एवं खरीफ 2023) में कोई भी कार्य नहीं किया गया है उक्त कार्य मद की संभावित मात्रा 100 क्विंटल ली जायेगी।
49. निविदा की नियम शर्त संख्या 48 के अनुसार निर्धारित की गयी L-1 फर्म को निविदा में प्राप्त कार्य स्लेब वार L-1 दरों की पेशकश करने एवं आगामी नेगोशियेशन करने का अधिकार NSCL के पास सुरक्षित होगा। कोई भी फर्म, अधिकतम स्लेब संख्या में L-1 दरें देने के आधार पर ठेका देने का दावा नहीं कर सकती।
50. फार्म प्रमुख, सीएसएफ सूरतगढ़ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदाएं अस्वीकार कर सकते हैं।
51. ठेकेदार के पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई.एस.आई का पंजीकरण अथवा कोड होना जरूरी है।
52. बैगक्लोजर एवं भार मापक यंत्र श्रमिक ठेकेदार को काम चालु करने पर सही हालत में सौंप दिये जायेंगे तथा काम पूर्ण होने पर सही हालत में लिये जायेंगे।
53. आगामी वर्ष के लिये यदि टैण्डर स्वीकृत होने में समय लगता है तो उस स्थिति में वर्तमान ठेकेदार को ही स्वीकृत दरों पर तब तक कार्य करना होगा, जब तक नया टैण्डर फाइनल नहीं होता तथा पार्टी को वर्क आर्डर ऑफर नहीं कर दिया जाये।
54. टैण्डर में दी गई नियम एवं शर्तों के अलावा कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
55. टैण्डर में दिये गये नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि श्रमिक ठेकेदार को मान्य होंगे। **श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने में देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया जा सकता है।**
56. **Arbitration clause:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एवं शर्तें मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर निविदादाता.....
 निविदादाता का नाम.....
 पता.....
 मोबाइल न.....
 दिनांक.....

Scope of work**1. बीजों की अग्रिम पैकिंग (Advance Packing/ Direct packing) :**

I. विधायन संयंत्र पर स्थित भंडारों और आस-पास के भंडारों से रॉ-बीज को विधायन संयंत्र मशीनों तक उठाना/लाना, उठाये गए रॉ-बीज के फर्श/स्थान की सफाई करना, लकड़ी की क्रेट को व्यवस्थित ढंग से रखना, स्टॉक की ग्रेडिंग करना, मानदंडों के अनुसार बीज का उपचार करना, बीज उचित वजन में पैक करना, पैकिंग सामग्री पर लॉट नंबर आदि लिखना और टैग/लेबल की छपाई और सिलाई करना, लीफलेट लगाना, उचित वजन के बाद आसपास स्टोर पर लॉट के हिसाब से स्टैक करना, जहां भी आवश्यक हो रासायनिक पैकेट डालने और प्रत्येक बीज बैग पर लेड सील लगाना। (पैकिंग सामग्री एनएससी/सीएसएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी)।

II. उचित लेबलिंग/टैगिंग/सीलिंग के साथ छोटे आकार के पैक किए गए बीज को बड़े आकार की थैलियों में बाहरी पैकिंग भी शामिल है।

III. अंडरसाइज को तौलकर बोरियों में भरना और उनका स्टैक लगाना भी शामिल है।

ध्यान दें:— विधायन के समय उपरोक्त बीज की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार पुनः ग्रेडिंग किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

2. बीजों की अप्रत्यक्ष पैकिंग (Indirect packing) -**A. रॉ-बीज (Raw Seed) की ग्रेडिंग/ विधायन और बल्क (Bulk) पैकिंग:**

I. विधायन संयंत्र पर स्थित भंडारों से रॉ-बीज (Raw Seed) को विधायन संयंत्र मशीनों तक उठाना/लाना, उठाये गए रॉ-बीज के फर्श/स्थान की सफाई करना, लकड़ी की क्रेट को व्यवस्थित ढंग से रखना, स्टॉक की ग्रेडिंग करना, दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्रेडेड बीज की बल्क (Bulk) पैकिंग करना, सिलाई करना और विधायन संयंत्र या निकटवर्ती स्टोर में वांछित स्थान/भंडार पर स्टैकिंग करना। [बारदाना बैग (Gunny Bag) और सुतली एनएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा]। उपरोक्त कार्य में बुकरम परियों की छपाई एवं सिलाई का कार्य भी शामिल है।

नोट— रॉ-बीज को उठाने के बाद और ग्रेडेड/पैकड बीज और अंडरसाइज के स्टैक लगाने से पहले फर्श की सफाई करना और लकड़ी के क्रेट की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

II. विधायन के दौरान (2-A-I) प्राप्त अंडरसाइज को तौलकर बोरियों में भरना और एनएससी के अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित स्थान पर स्टैकिंग करना।

नोट— बल्क (Bulk) पैकिंग/गनी बैग में उपलब्ध ग्रेडेड बीज के फेल लॉट के पुनः ग्रेडिंग का कार्य भी ऊपर बिंदु संख्या 2. A-I में उल्लिखित सभी कार्य विवरणों के साथ उक्त वर्णित शीर्ष (2-A) की दरों पर किया जाएगा।

ध्यान दें:— विधायन के समय उपरोक्त बीज की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार पुनः ग्रेडिंग किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

B. ग्रेडेड बीज का पैकिंग कार्य-

I. एसटीएल/क्यूसीएल में पास ग्रेडेड बीज को स्टोर से पैकिंग बिंदुओं पर लाने के लिए उठाना, विधायन संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार पास ग्रेडेड बीज को मानक पैकिंग साइज में पैक करना, पैकिंग सामग्री पर लॉट नंबर आदि लिखना और टैग/लेबल की छपाई और सिलाई करना, बीज की थैलियों के उचित वजन के बाद आसपास स्टोर पर लॉट के हिसाब से स्टैक लगाना। जहां भी आवश्यक हो लीफलेट, रासायनिक पैकेट डालने और प्रत्येक बीज बैग पर लेड सील लगाने का कार्य भी शामिल है। (सीपीएम एनएससी/सीएसएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी)।

नोट— रॉ-बीज को उठाने के बाद और ग्रेडेड/पैकड बीज और अंडरसाइज के स्टैक लगाने से पहले फर्श की सफाई और लकड़ी के क्रेट की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

II. उचित लेबलिंग/टैगिंग/सीलिंग के साथ छोटे आकार में पैक किए गए बीज को बड़े आकार की थैलियों में बाहरी पैकिंग भी शामिल है।

नोट: आधारीय बीज के मामले में बीज उपचार शुल्क अलग से देय नहीं होगा।

3. बिना पुनः ग्रेडिंग(without Regrading) पुनर्वैधीकरण (Revalidation) कार्य /अलग से स्टाम्पिंग कार्य (Seperate stamping)-

I. कैरीओवर स्टॉक जिन्हें प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा पुनः मान्य (Revalidated) किया जाना आवश्यक है। इस कार्य में लॉट के अनुसार बीजों की छंटाई (sorting) नमूनाआहरण (Sampling), एसटीएल/क्यूसीएल परिणाम प्राप्त होने के बाद पैक किए गए बीज के प्रत्येक लेबल और टैग पर उचित स्टाम्पिंग और फिर एनएससी अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार वांछित स्थान पर स्टैकिंग शामिल है।

II. बाहरी पैकिंग में उपलब्ध छोटे आकार के पैक किए गए बीज का पुनर्वैधीकरण कार्य भी शीर्ष 3 में शामिल है। इस कार्य में बीज की लॉटवार छंटाई (sorting), नमूनाआहरण (Sampling), एसटीएल/क्यूसीएल परिणाम प्राप्त होने के बाद बाहरी पैकिंग को खोलना और छोटे आकार के पैक किए गए बीज के प्रत्येक लेबल और टैग पर उचित स्टाम्पिंग के बाद बड़े आकार की पैकिंग में दोबारा पैक करना और फिर एनएससी अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार वांछित स्थान पर इसकी स्टैकिंग करना शामिल है।

नोट - राज्य-वार मांग/आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार, मिनीकिट्स और अन्य आवश्यक स्टाम्पिंग के मामले में अलग-अलग स्टाम्पिंग भी ऊपर बिंदु संख्या 3-I और 3-II में उल्लिखित सभी कार्य विवरणों के साथ उक्त वर्णित शीर्ष (3) की दरों पर किया जाएगा।

4. पुनः ग्रेडिंग और पुनः पैकिंग के साथ पुनर्वैधीकरण कार्य-

I. कैरीओवर स्टॉक जिन्हें प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा पुनः मान्य (Revalidated) किया जाना आवश्यक है। इस कार्य में बीज की लॉटवार छंटाई (sorting), नमूनाआहरण (Sampling), कैरीओवर बीज को विधायन संयंत्र में स्थानांतरित करना, पैकिंग को खोलना, पुनः ग्रेडिंग और एसटीएल/क्यूसीएल परिणाम प्राप्त होने के बाद पुनः पैकिंग करना, पैकिंग सामग्री पर लॉट नंबर आदि लिखना और टैग और लेबल की छपाई और सिलाई करना, बीज की बोरियों को उचित वजन के बाद स्टैक लगाना। जहां भी आवश्यक हो वहां लीफलेट, रासायनिक पैकेट डालना और प्रत्येक बीज बोरी पर लेडसील लगाना, बीज की बोरियों की सिलाई कर एनएससी/सीएसएफ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार लॉटवार वांछित स्थान पर इसकी स्टैकिंग करना। उपरोक्त वर्णित कार्य में केरी ओवर टैग एवं पुराने बैग (CPM) की गिनती कर विधायन संयंत्र प्रभारी को जमा करवाना भी शामिल है।

II. बाहरी पैकिंग में उपलब्ध छोटे आकार में पैक किए गए बीजों की पुनः ग्रेडिंग और पुनः पैकिंग के साथ पुनर्वैधीकरण कार्य भी शीर्ष 4 में शामिल है। इस कार्य में बीजों की लॉट-वार छंटाई(sorting), नमूनाकरण, कैरीओवर बीज को विधायन संयंत्र में स्थानांतरित करना, बाहरी पैकिंग और छोटे आकार की पैकिंग को खोलना, पुनः ग्रेडिंग, एसटीएल/क्यूसीएल परिणाम प्राप्त होने के बाद छोटे आकार के पैक में पुनः पैकिंग और छोटे पैक को फिर से बड़े आकार की पैकिंग में पैक करना, पैकिंग पर लॉट नंबर लिखना, टैग और लेबल की छपाई और सिलाई करना, बीज की थैलियों के उचित वजन के बाद स्टैक लगाना, जहां भी आवश्यक हो वहां लीफलेट, रासायनिक पैकेट डालना और प्रत्येक बीज बोरी पर लेडसील लगाना, बीज की बोरियों की सिलाई कर एनएससी/सीएसएफ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार लॉटवार वांछित स्थान पर इसकी स्टैकिंग करना। उपरोक्त वर्णित कार्य में केरी ओवर टैग एवं पुराने बैग CPM की गिनती कर विधायन संयंत्र प्रभारी को जमा करवाना भी शामिल है।

5. बीजों का हाथ से चयन (Hand Picking) : कुछ बीज लॉटों में एनएससी/सीएसएफ द्वारा हाथ से चुगाई (Hand Picking) की व्यवस्था की जाती है, विशेष रूप से चना, ग्वार, मूंग, मूंगफली और अन्य फसलों के मामले में, प्रति क्विंटल दर उद्धृत की जानी है।

6. पॉली पाउच में बीज की पैकिंग:

I. इस कार्य में ग्रेडेड बीज को उठाना/पैकिंग स्थल पर स्थानांतरित करना, ग्रेडेड बीज बैग खोलना, पॉली पाउच में बीज की पैकिंग करना, पॉली पाउच को सील करना, पॉली पाउच पर फसल-वार स्टिकर चिपकाना, सीलबंद पॉली पाउच को बाहरी पैकिंग में पैक करना, बाहरी पैकिंग की लेबलिंग, निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थान/गोदाम में पैक किए गए बीज को उठाना/स्थानांतरित करना और स्टैक लगाना।

II. पॉली पाउच में बीज की पैकिंग से पहले और बाद में पैकिंग स्थल की सफाई भी इस कार्य में शामिल है।

7. बीज कोटिंग:

इस कार्य में गोदामों से बीज को बीज कोटिंग शेड में स्थानांतरित करना, बीज कोटिंग के लिए रसायन का मिश्रण तैयार करना, कोटिंग मशीन में बीज डालना, कोटिंग के बाद बीज को सुखाना, लेपित/कोटेड बीज का संग्रह करना और बीज की कोटिंग के बाद फर्श और मशीन की सफाई शामिल है।

8. डायरेक्ट पैकिंग के फेल बीज लॉट (Fail Seed Lot) से टैग/लेबल हटाना:

इस कार्य में एसटीएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डायरेक्ट/अग्रिम/एडवांस पैकिंग के तहत फेल लॉट को अलग (segregate) करना/स्थानांतरित करना, बैग की सिलाई खोलना, बिना किसी क्षति के बैगों से टैग/लेबल को हटाना, बैगों की पुनः सिलाई करना और निर्देशों के अनुसार शिपिंग और स्टैकिंग शामिल है। उपरोक्त वर्णित कार्य में हटाये गये टैग एवं लेबल की गिनती कर विधायन संयंत्र प्रभारी को जमा करवाना भी शामिल है।

9. प्रमाणीकरण (Certification) और पैकिंग सामग्री का लोडिंग अथवा अनलोडिंग शुल्क :

I. इस कार्य में स्टोर से प्राप्त या भेजे जा रहे कपड़े के बैग / एचडीपीई बैग / रासायनिक पैकिंग / बंडल / बेल्स सहित प्रमाणीकरण और पैकिंग सामग्री के लोडिंग अथवा अनलोडिंग का कार्य शामिल है।

II. निविदा में उद्धृत दरें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलग-अलग लागू होंगी।

III. सीजन के दौरान छपाई और बीज के पैकिंग के प्रयोजन के लिए फार्म परिसर के भीतर एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित किए जाने वाले सीपीएम के लिए शीर्ष के तहत उद्धृत दरें लागू नहीं होंगी।

10. ट्रकों/ट्रॉलियों की अनलोडिंग, स्टैकिंग अथवा ट्रकों/ट्रॉलियों की लोडिंग:

I. इस कार्य में निर्देश के अनुसार ट्रकों और ट्रॉलियों की अनलोडिंग, विधायन संयंत्र/आस-पास के गोदामों पर स्टैकिंग करना अथवा ट्रकों और ट्रॉलियों की लोडिंग का कार्य भी शामिल है।

II. निविदा में उद्धृत दरें लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के लिए अलग-अलग लागू होंगी।

III. शीर्ष के अंतर्गत उद्धृत दरें विधायन/पैकिंग/स्टैकिंग के प्रयोजन के लिए फार्म परिसर में एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के बीज/अंडरसाइज के लिए लागू नहीं होंगी।

11. गनी बैग की सफाई और पृथक्करण: इस कार्य में गनी बैग की सफाई और पृथक्करण (segregation) और उपयोग योग्य और अनुपयोगी के अलग-अलग 50-50 के बंडलों का निर्माण तथा इन बैग / बंडलों को निर्देशित स्थान पर गिनती योग्य स्थिति में स्थानांतरित करना एवं स्टैकिंग करना शामिल है (सुतली एनएससी द्वारा प्रदान की जाएगी)।

12. बीज(Seed)/गैर-बीज (Non Seed)/ Undersize /बोरी आदि का धूमीकरण (Fumigation) :

I. इस कार्य में बीज(Seed)/गैर-बीज(Non Seed) /गनी बैग आदि के सभी प्रकार के स्टैको का धूमीकरण शामिल है, जिसमें स्टैक पर जमी धूल को साफ करना, स्टैक को धूमीकरण कवर से ढकना, सभी सावधानियों के साथ अपेक्षित मात्रा में धूम्रकारी रसायन डालना, स्टैक कवर को गीली मिट्टी/रेत के थेलों से सील करना और आवश्यक अवधि के बाद फ्यूमिगेशन कवर को खोलना, इस्तेमाल की गई मिट्टी/रेत को गोदाम के फर्श से साफ करना और फ्यूमिगेशन कवर को मोड़ना और निर्देशों के अनुसार इसे सुरक्षित स्थान पर रखना शामिल है। .

II. फ्यूमिगेंट रसायन और फ्यूमिगेशन कवर एनएससी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

III. दर प्रति स्टैक उद्धृत की जानी है।

13. बीज/गैर-बीज(Non Seed) के स्टैक /गोदाम पर स्प्रे करना :

I. इस कार्य में स्रोत से छिड़काव (Spraying) के लिए आवश्यक पानी एकत्र करना, आवश्यक रसायन मिलाना और गोदाम के स्टैक /फर्श/दीवार एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी सावधानियों के साथ छिड़काव (Spraying) करना शामिल है।

II. छिड़काव मशीनें/उपकरण और स्प्रे रसायन एनएससी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

III. दर प्रति विवंटल. उद्धृत किया जाना है।

14. फार्म परिसर के भीतर पैक किए गए बीज को स्थानांतरित करना:

I. इस कार्य में गोदामों पर बीज के लिए जगह(Space)/स्वच्छ स्थिति (Hygienic Conditions) बनाने के उद्देश्य से निर्देशों के अनुसार पैक किए गए बीज/निष्क्रिय बीज(Condemned Seed)/ अन्य प्रकार को फार्म परिसर के भीतर एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या खुले शेड में स्थानांतरित कर स्टैकिंग करना शामिल है।

II. शीर्ष के अंतर्गत उद्धृत दरें विधायन एवं पैकिंग से प्राप्त विधायित मात्रा, पैकड मात्रा एवं अंडरसाइज मात्रा को फार्म परिसर में एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करने के लिए लागू नहीं होंगी।

टिप्पणी:—

- a. उपरोक्त मदों के तहत बीज/गैर-बीज (Non Seed)/अंडरसाइज/सीपीएम को एक गोदाम से दूसरे गोदाम या खुले शेड में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक वाहन एनएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- b. किसी भी प्रकार के बीज/सीपीएम आदि के धूमन और स्प्रे के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रे उपकरण/रासायनिक/धूमन कवर एनएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- c. बीज की ग्रेडिंग और पैकिंग में उपयोग की जाने वाली बैग क्लोजर सहित मशीनें एनएससी द्वारा प्रदान की जाएंगी।
- d. बीज की ग्रेडिंग/पैकिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी आइटम/रबर स्टैम्प/विभिन्न आकार की स्क्रीन/प्रिंटिंग स्याही आदि एनएससी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- e. प्रोसेसिंग हॉल और प्रोसेसिंग मशीनों की सफाई के लिए, ठेकेदार को आवश्यक संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने होंगे, जिसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एवं शर्तें मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं। उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर निविदादाता.....
निविदादाता का नाम.....
पता.....
मोबाइल न.....
दिनांक.....

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :spo.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	
---	---	---	---

क्रमांक सीएसएफ/एसओजी/2-एसपीयू/08/2024

दिनांक:-

Annexure "A"
Technical Bid
Tender form (Labour Contractor)

1. Labour Contractor's Name , Address
2. E.P.F. Registration no.
3. E.S.I Registration no.
4. Income tax
5. PAN No.
6. Experience Certificate
7. Registration no. (Labour Contractor)
8. Labour Shop / Labour License
9. EMD Details UTR No./Date
10. Tender Form fee's UTR No. / Date
11. Non black listing certificate
12. Turn Over Certificate (Last Two Financial Year)

Note: Kindly Attach Aforesaid document's Photocopy.

Signature

Name

Address

Mobile No.

E mail

Tender Form “Financial Bid”**Kharif-2024/Summer-2024/ Rabi 2023-24****For Work of Processing, Packing & Palledari of PP-19, 206 Block-1 and PP-18, 228 Block-2.****Processing Plant No. and Blocks.....**

S. No.	Item of Work	Rate quoted (in rupees) Inclusive of all taxes
1	बीजों की सीधी पैकिंग/अग्रिम पैकिंग (Advance Packing) – खंड-IV के आइटम नंबर 1-I, 1-II और 1-III के सामने दर्शाए गए कार्य के सभी आइटम। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	2 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
ii	2 किलो से अधिक और 5 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iii	5 किलो से अधिक और 10 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iv	10 किलो से अधिक और 20 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
v	20 किलो से अधिक और 40 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
2	बीजों की अप्रत्यक्ष पैकिंग(Indirect Packing) –	
A	रॉ-बीज(Raw Seed) की ग्रेडिंग/ विधायन और बल्क (Bulk) पैकिंग कार्य– कार्य के सभी आइटम खंड-IV के आइटम नंबर 2-A-I और 2-A-II के सामने दर्शाए गए हैं। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	रॉ-बीज: 35 किलोग्राम तक पैकिंग साइज	
ii	रॉ-बीज: 35 किलोग्राम से अधिक पैकिंग साइज	
B	श्रेणीबद्ध बीज (Graded Seed) का पैकिंग कार्य – खंड-IV के आइटम नंबर 2-B-I और 2-B-II के सामने दर्शाए गए कार्य के सभी आइटम। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	2 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
ii	2 किलो से अधिक और 5 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iii	5 किलो से अधिक और 10 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iv	10 किलो से अधिक और 20 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
v	20 किलो से अधिक और 40 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
3	बिना पुनः ग्रेडिंग(without Regrading) पुनर्वैधीकरण कार्य (Revalidation Work) /अलग से मुद्रांकन (Seperate Stamping) - खंड-IV के आइटम 3-I और 3-II के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	5 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
ii	5 किलो से अधिक और 10 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iii	10 किलो से अधिक पैकिंग साइज के लिए	
4	पुनः ग्रेडिंग (Regrading) और पुनः पैकिंग (Repacking) के साथ पुनर्वैधीकरण कार्य (Revalidation Work) खंड-IV के आइटम नंबर 4-I और 4-II के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	5 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
ii	5 किलो से अधिक और 10 किलो तक की पैकिंग साइज के लिए	
iii	10 किलो से अधिक पैकिंग साइज के लिए	
5	हाथ से चुनना (Hand Picking): खंड-IV के आइटम नंबर 5 के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	मूंगफली के लिए	
ii	मूंगफली के अलावा अन्य के लिए	

6	पॉली पाउच में बीज की पैकिंग: खंड-IV के आइटम नंबर 6-I और 6-II के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	500 ग्राम तक की पैकिंग के लिए	
ii	500 ग्राम से अधिक और 1 किलोग्राम तक की पैकिंग के लिए	
iii	1 किलो से ऊपर की पैकिंग के लिए	
7	बीज कोटिंग: खंड-IV के आइटम नंबर 7 के अनुसार(Rate-Rs Per Qtls)	
8	सीधे पैकिंग (Direct Packing) के अवमानक लॉट (Fail Lot) से टैग/लेबल हटाना: खंड-IV के आइटम नंबर 8 के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
i	5 किलो तक की पैकिंग के लिए	
ii	5 किलो से अधिक और 10 किलो तक की पैकिंग के लिए	
iii	10 किलो से ऊपर की पैकिंग के लिए	
9	प्रमाणीकरण और पैकिंग सामग्री की उत्तराई अथवा लोडिंग हेतु शुल्क: खंड-IV के आइटम नंबर 9-I, 9-II और 9-III के अनुसार (Rate Per Drum/Bails/ Bundles)	
i	कपड़े के बैग/एचडीपीई बैग/रासायनिक ड्रम/बैग/बंडल/बेल्स- 50 किलोग्राम तक	
ii	कपड़े के बैग/एचडीपीई बैग/रासायनिक ड्रम/बैग/बंडल/बेल - 51 किग्रा से 100 किग्रा	
10	ट्रकों/ट्रॉलियों की अनलोडिंग और स्टैकिंग अथवा ट्रकों/ट्रॉलियों की लोडिंग खंड-IV के आइटम नंबर 10-I,10-II और 10-III के अनुसार। (Rate- Rs Per Qtls)	
11	बोरियों की सफाई, उपयोग योग्य और अनुपयोगी बोरियों का पृथक्करण तथा उनके अलग-अलग 50-50 के बंडल बनाना और गिनती योग्य स्थिति में रखना। खंड -IV के आइटम नंबर 11 के अनुसार। (Rate- Rs Per Bag)	
12	बीज (Seed) /गैर बीज (Non Seed) / अंडरसाइज / बोरियों के स्टैक आदि का धूमन (Fumigation) : खंड-IV के आइटम नंबर 12-I,12-II और 12-III के अनुसार। (दर-प्रति चट्टा) (Rate- Rs Per Stack)	
13	बीज (Seed) /गैर बीज (Non Seed) के स्टैक /गोदाम का छिड़काव (Spraying) : खंड-IV के आइटम नंबर 13-I,13-II और 13-III (Rate- Rs Per Qtls)	
14	फार्म परिसर के भीतर बीज को स्थानांतरित करना खंड-IV के आइटम नंबर 14-I और 14-II के अनुसार। (Rate-Rs Per Qtls)	

हस्ताक्षर निविदादाता.....
निविदादाता का नाम.....
पता.....

	नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :spo.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	
---	--	---	---

क्रमांक सीएसएफ/एसओजी/2-एसपीयू/08/2024

दिनांक:-

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER HEAD WITH REGARD
TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION**

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,

The Director,

NSC, CSF Suratgarh.

We hereby confirm and declare that we, M/S....., have not been blacklisted /De-registered by any Government department / Public Sector Undertaking / Private Sector / or any other agency for which we have Executed / Undertaken the work / Services during the last 5 years

For.....

Authorised Signatory

Date: